खुलासा बड़वारा थाना क्षेत्र के अलग-अलग सरकारी स्कूलों से चोरी किए गए थे सिलेंडर

नाबालिग सहित दो आरोपी गिरफ्तार, सिलेंडर बरामद

नवभारत, कटनी। जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र स्थित सरकारी स्कूलों के मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए रखे सिलेंडरों को चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए गए घरेलू गैस सिलेंडरों को भी बरामद कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी गुरूनानक वार्ड निवासी राधा रैदास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अमाड़ी गांव के प्राथमिक स्कूल से अज्ञात चोरों ने सिलेंडर चोरी कर लिए हैं। इसी तरह 18 मार्च को संतोष सिंह ने शिकायत दर्ज कराई की पौड़ी गांव के माध्यमिक शाला से दो रसोई गैस सिलेंडर अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए हैं। एक अन्य मामले में पकंज कुमार राय ने 21 मार्च को शिकायत दर्ज कराई की भजिया गांव के शासकीय माध्यमिक

स्कूल से रसोई से पांच रसोई गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए हैं। तीनों ही शिकायतों पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। चोरों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गैस सिलेंडर चोरी करने के संदेह में एनकेजे थाना क्षेत्र के रोशन नगर निवासी गांव निवासी मनोज कुमार यादव, खिरहनी निवासी दीपक कुशवाहा को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों गैस सिलेंडर चोरी करने की वारदात को अंजाम स्वीकार किया है। इस मामले में एक नाबालिग बालक को भी पकड़ा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए आठ सिलेंडरों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी करने में उपयोग किए गए एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है। चोरी किए गए सिलेंडरों की कीमत करीब 25 हजार रूपए आंकी गई है। आरोपियों को पकड़ने में बड़वारा थाना प्रभारी एसआई केके पटेल, एसआई व्हीएस जायसवाल, एएसआई सतेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक नितेश डोंगरे, सायबर सेल के आरक्षक अमित श्रीपाल, आरक्षक गौरीशंकर राजपूत, शिवप्रकाश तिवारी, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, बृजलाल प्रजापति और ग्राम रक्षा समिति सदस्य कमलेश निषाद की भूमिका रही।

पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया और डीएसपी रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई है।

रेत का अवैध परिवहन करने पर चार डंपर वाहन जब्त

बड़वारा पुलिस ने बसाड़ी और सकरीगढ़ मार्ग में की कार्रवाई

नवभारत, कटनी। बड़वारा थाना क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करने पर पुलिस ने चार डंपर वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि बसाड़ी और सकरीगढ़-सलना मार्ग के बीच रेत का अवैध रूप से परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस टीम को दोनों स्थानों पर दबिश के लिए भेजा गया। दबिश के दौरान पुलिस टीम ने बसाड़ी गांव में एक डंपरा को रोककर उसके चालक से रेत परिवहन से संबंधित दस्तावजों को दिखाने के लिए कहा। लेकिन चालक परिवहन से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जिस पर पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। वहीं सकरीगढ़ और सलना के बीच वाहन एक डंपर को रोककर चालक से रेत परिवहन से संबंधित दस्तावेजों को दिखाने के लिए कहा गया। लेकिन वह भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिस पर डंपर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करने पर चार डंपरों को जब्त किया है। बगैर दस्तावेजों के रेत का अवैध परिवहन करने पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनन माफिया पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों पर राजनीतिक दलों के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को प्राथमिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये चारों वाहन खैरभार खदान से रेत भरकर शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

एक नजर में

पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया जिला

नवभारत, कटनी। ग्रीष्मकाल मे भूजल स्तर में गिरावट और निजी नलकूप खनन में वृद्धि होने के कारण आगामी माह में जिले के समस्त विकासखण्डो में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने मप्र पेयजल परीक्षण अधिनियम और संशोधन अधिनियम में मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में जिले के सभी विकासखंडों, नगरीय क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित पेयजल स्रोतों में पेयजल, घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजनों के लिए नहरों में प्रवाहित पेयजल के अलावा अन्य स्रोतों का दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल उपयोग नहीं करेगा। जिले के समस्त विकासखंडों, नगरीय क्षेत्रों में समस्त नदी, नालों स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं सहित अन्य पेयजल स्रोतों का उपयोग, घरेलू प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षित कर दिया गया है। जिले के पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं और प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी के बिना अनुमति के नया नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शिविर लगाकर जमा कराया गया संपत्ति और जलकर

टैक्स जमा कराने शहर के पांच स्थानों में लगाए गए शिविर

नवभारत, कटनी। नेशनल लोक अदालत की तरह ही नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति कर और जलकर के अधिभार में शत-प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की सुविधा दी गई है। कर वसूली अभियान के अंतर्गत गुरुवार को शहर के विभिन्न पांच स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। शहर में सुबह 10 बजे से नगर निगम कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उप कार्यालय और सुभाष चौक में शिविर लगाए गए। शिविरों के माध्यम से करदाताओं को अपने बकाया करों का भुगतान करने

अधिभार में विशेष छूट दी जा रही है। साथ ही करदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। जिससे वे बिना किसी असुविधा के टैक्स जमा कर अधिभार में छूट का लाभ उठा सकें। नगर निगम आयुक्त ने शिविर स्थलों पर करदाताओं के लिए बैठक, पेयजल और बुनियादी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि करदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। नगर निगम आयुक्त ने शहर के बकाया करदाताओं से कहा है कि वे निर्धारित शिविर स्थानों पर पहुंचकर शासन द्वारा सीमित समय के लिए दी गई अधिभार में छूट का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित करों का समय पर भुगतान कर नगर के विकास में सहभागी बनें।

शहर के हृदय स्थल से हटाएं शराब दुकान, खुले में शराब पीने पर हो कार्रवाई

महिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

नवभारत, कटनी। शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में खुलेआम शराबखोरी के खिलाफ जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष रजनी वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि हालात पर तत्काल लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुभाष चौक, घंटाघर और गर्ग चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर संचालित शराब दुकानों ने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है। दुकानों के बाहर खुलेआम बैठकर शराब पीना,

गाली-गलौज, झगड़े और असामाजिक गतिविधियां अब आम बात हो गई हैं, जिससे महिलाओं, छात्राओं और आम नागरिकों का निकलना दूभर हो गया है। ज्ञापन में साफ कहा गया कि मंदिर, कॉलेज और बाजार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास शराब दुकानों का संचालन न सिर्फ नियमों की अनदेखी है, बल्कि यह शहर की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा पर सीधा हमला है। हर दिन बढ़ती अव्यवस्था के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि शहर के बीच स्थित सभी शराब दुकानों को तत्काल हटाया जाए और दुकानों के बाहर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। महिला कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रति आबकारी विभाग को भी भेजी गई है। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नियम विरूद्ध शराब दुकान के संचालन पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जाटव, सेवादल अध्यक्ष मंगल सिंह, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष आदिता वर्मा, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कल्पना पाठक, शशि यादव, अभिषेक शिवहरे , मनोज वर्मा, प्रफुल्ल यादव की उपस्थिति रही।

मंदिर में हर दिन बढ़ रही भक्तों की संख्या, उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब

दशरमन के महादेवी माता मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु

नवभारत, नवभारत। जिले के उमरियापान क्षेत्र के दशरमन स्थित महादेवी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है । दूर-दराज से पहुंचे भक्त माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना कर रहे हैं । मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण देखने को

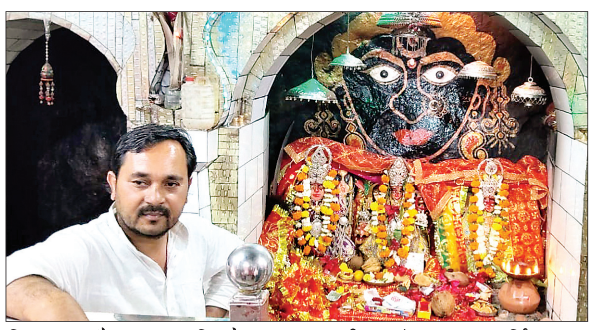

मिल रहा है । नवरात्रि के इन पावन दिनों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं । श्रद्धालु विधि-विधान से माता की पूजा कर रहे हैं और नारियल, चुनरी एवं प्रसाद अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं । मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद महादेवी माता पूर्ण करती हैं, यही कारण है कि यहां हर वर्ष नवरात्रि में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा, पेयजल और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है, वहीं भक्तगण माता के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। नवरात्रि के इस पर्व ने एक बार फिर आस्था और विश्वास की मिसाल पेश की है।

परामर्शदाता ने लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप

जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग

नवभारत, कटनी। जिले की एक एक परामर्शदाता ने विभागीय अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न, अवैध वसूली और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता अर्चना गौतम ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 में नियुक्ति के दौरान रजिस्ट्रेशन और हेड ऑफिस के नाम पर 5 हजार की मांग की गई थी, जिसमें से दो हजार नगद लिए गए। इसके बाद मार्च 2025 में दोबारा 25 हजार की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने अप्रैल 2025 में 10 हजार दिए। परामर्शदाता अर्चना गौतम का आरोप है कि शेष राशि नहीं देने पर उनके खिलाफ रजिस्टर, डस्टर और अन्य सामग्री चोरी जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। साथ ही उनका मोबाइल एप बंद कर दिया गया और उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, जबकि वे नियमित रूप से कार्य कर रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कॉलेज के व्हाट्सएप समूहों से हटा दिया गया, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी से वे वंचित रहीं। इसके अलावा छात्रों को उनसे बातचीत करने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दी गई। ब्लॉक समन्वयक पर भेदभाव और पसंदीदा मेंटर्स को लाभ देने का आरोप लगाया है।

आईटीआई भवन बनने से छात्रों को मिलेगी सुविधा

विजयराघवगढ़ विधायक के प्रयासों से स्वीकृत हुई राशि

नवभारत, कटनी। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगारमुखी कौशल शिक्षा देने के उद्देश्य से विजयराघवगढ़ विधानसभा के कैमोर नगर में विधायक संजय पाठक के प्रयासों के बाद दो वर्ष पहले विधानसभा के तीसरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रारंभ किया गया था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान में अस्थाई रूप से खलवारा बाजार में प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था। कुछ माह पहले विधायक संजय पाठक ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ

मोहन यादव से भेंट कर कैमोर आईटीआई के नई बिल्डिंग के निर्माण सहित छात्रावास भवन के राशि स्वीकृत करने की मांग की थी। जिस पर अब कैमोर में आइटीआइ भवन, छात्रावास भवन बनाने के लिए 15 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने पर विधायक संजय पाठक ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से उन्होंने विजयराघवगढ़ क्षेत्र के लिए जब जब उन्होंने जो मांगा है वह उपलब्धि मिली है, विधानसभा में विजयराघवगढ़, बरही ,कैमोर में 3 आईटीआई चल रहे बरही और विजयराघवगढ़ में नए भवन छात्रावास भवन पहले ही बन गए है अब कैमोर में भी आईटीआई भवन और छात्रावास भवन बनने से युवाओं को सुविधा मिलेगी।

बगैर दस्तावेजों के होटल में मिले तीन कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त

राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई

नवभारत, कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा रसोई गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश के पालन में गुरुवार को जिले की बरही तहसील में अवैध एलपीजी गैस सिलेंडरों के भंडारण एवं उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। बरही तहसीलदार संतोष कुमार श्रीवास्तव और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी यज्ञ दत्त त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने कमानिया गेट के समीप पुराने बस

स्टैंड क्षेत्र स्थित होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान होटल गीतांजली में 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग में पाए गए। इनमें से सिर्फ 2 सिलेंडरों के वैध दस्तावेज प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किए गए, जबकि शेष 3 सिलेंडरों के संबंध में कोई दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए जांच टीम ने तीन सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। होटल के संचालक स्वतंत्र ताम्रकार के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, संतोष होटल में भी कॉमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग पाया गया, लेकिन संचालक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लगातार जांच और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए गैस सिलेंडर संकट के बाद उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। उपभोक्ता गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से पहुंच जाते हैं, दिन के समय गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है, जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है।

तैयारी पुस्तक मेले के सफल संचालन के लिए जिला पंचायत सीईओ ने की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

अभिभावकों को मिलेगी राहत, दबाव बनाने पर स्कूल संचालकों पर होगी कार्रवाई

नवभारत, कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिला स्तरीय पुस्तक मेले के सफल आयोजन के लिए गुरुवार को जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत की सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर की अध्यक्षता में अशासकीय विद्यालय के संचालक, बुक सेलर्स और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ और पुस्तक मेला आयोजन की प्रभारी द्वारा पुस्तक मेले के व्यापक प्रचार और बच्चों, अभिभावकों, नागरिकों की अधिकतम सहभागिता के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तक मेले की तैयारी और व्यवस्थाओं

के संबंध में जानकारी ली। वेंडर्स द्वारा मेले में सुविधा के संबंध में भी निर्देश दिए गए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी, सहायक संचालक धनश्री जैन, जिला परियोजना समन्वयक प्रेमनारायण तिवारी, एपीसी सुब्रन सिंह राजपूत, प्रीति सिंह, प्रतिभा गर्ग, रामभूषण अग्निहोत्री की मौजूदगी रही। पुस्तक मेले का तीन दिवसीय आयोजन 28 मार्च 2026 से 30 मार्च तक दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक साधुराम हाई स्कूल परिसर में 30 मार्च तक जिला स्तरीय पुस्तक और गणवेश मेला का आयोजन किया जाना है। वहीं कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले का कोई भी निजी विद्यालय, विद्यार्थियों या अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते या अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि विद्यार्थी और अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार खुले बाजार से शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यदि किसी भी विद्यालय या पुस्तक विक्रेता द्वारा दबाव बनाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध सभी निजी स्कूलों के संचालकों और प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2017 और नियम 2020 के तहत किसी भी छात्र या अभिभावक को चयनित विक्रेता से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक कक्षा की पुस्तक सूची, शुल्क विवरण स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करे। यूनिफॉर्म और किताबों के लिए कम से कम 5-5 दुकानों के नाम बताए।